

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप-३) विभाग

ईमेल- higeredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष-0141-51532222 ए 5153223 ए 5153660 (आई.पी.नं. 24870)

क्रमांक प. 6(14)शिक्षा / ग्रुप-३ / 2022

जयपुर, दिनांक:- 29.06.2022

-: आदेश :-

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2022-23 में की गई बजट घोषणा के बिन्दु संख्या-153.01.00, 290.00.00, 362.00.00 की अनुपालना में निम्नलिखित 29 नवीन राजकीय कृषि महाविद्यालय खोले जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन एतद्वारा प्रदान की जाती है : -

क्र.सं.	स्थान	जिला	क्र.सं.	स्थान	जिला
1	मुण्डावर	अलवर	16	फूलियाकलां (शाहपुरा)	भीलवाड़ा
2	तिजारा	अलवर	17	ओसिया	जोधपुर
3	पहाड़ी	भरतपुर	18	बाड़मेर	बाड़मेर
4	नगर	भरतपुर	19	गुढामलानी	बाड़मेर
5	भरतपुर	भरतपुर	20	केशवाणा (सायला)	जालोर
6	करौली	करौली	21	पोकरण	जैसलमेर
7	टोडाभीम	करौली	22	नोहर	हनुमानगढ़
8	सराईमाधोपुर	सराईमाधोपुर	23	जोगीवाला (भादरा)	हनुमानगढ़
9	बरावण्डा खुर्द (खण्डार)	सराईमाधोपुर	24	प्रतापगढ़	प्रतापगढ़
10	खेड़लाबुजुर्ग (महवा)	दौसा	25	खैरवाडा	उदयपुर
11	बहरावण्डा (सिकराय)	दौसा	26	बोरवट	बांसवाड़ा
12	चिड़ावा	झुन्झूनूं	27	बरसी	चित्तोडगढ़
13	केकड़ी	अजमेर	28	बांरा	बांरा
14	डीडवाना	नागौर	29	शाहबाद	बांरा
15	नांवा	नागौर			

उपरोक्त 29 नवीन कृषि महाविद्यालयों हेतु, प्रत्येक महाविद्यालय में 29+(01) मशीन विद मैन कुल 841 नवीन पद एवं 29 मशीन विद मैन की सेवायें बजट मद 2202-03-102-02-00 में सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है : -

क्र.सं.	नवीन पदों का नाम	प्रत्येक महाविद्यालय हेतु स्वीकृत पदों की संख्या	29 कृषि महाविद्यालयों हेतु स्वीकृत पदों की संख्या
1	अधिष्ठाता / प्राचार्य	01	29
2	सह-आचार्य	02	58
3	सहायक आचार्य	10	290
4	सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष	01	29
6	निजी सहायक	01	29
7	सहायक लेखाधिकारी-द्वितीय	01	29
8	प्रशासनिक अधिकारी	01	29
9	वरिष्ठ सहायक	01	29
10	कनिष्ठ सहायक	01	29
11	फार्म मैनेजर	01	29
12	प्रयोगशाला सहायक	03	87
13	कृषि पर्यवेक्षक	01	29
14	वाहन चालक*	01 (रेक्सको के माध्यम से)	29 (रेक्सको के माध्यम से)
15	मशीन विद मैन**	(01)	29
16	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	04	116
		29+(01)	841+(29)

*वाहन चालक (ट्रेक्टर चालक) के पद पर सेवानिवृत्त कार्मिक/रेक्सको के माध्यम से सेवायें प्राप्त की जा सकेगी।

** मशीन विद मैन () की सेवाएं वित्त विभाग के समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार प्राप्त की जावेगी।

- (1) उपर्युक्तानुसार प्रत्येक महाविद्यालय में पदों के सृजन की स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि आयुक्तालय नवीन महाविद्यालयों के संचालन हेतु एक सोसाइटी का गठन करेगा जो चिकित्सा महाविद्यालयों के संचालन हेतु गठित राजमेस सोसाइटी की तर्ज पर गठित की जावें। नवीन राजकीय महाविद्यालयों हेतु आवश्यक पद इस सोसाइटी के अधीन रहेंगे।

कृ.पृ.ज.

(2)

- (2) सोसाइटी के गठन होने तक उक्त महाविद्यालयों में विद्या संबंध मॉडल पर विषय विशेषज्ञ अनुभवी व्यक्तियों को गेस्ट फेकल्टी के रूप में/विद्यमान नियमित कार्मिकों को आवश्यकतानुसार लगाया जा सकेगा। साथ ही वाहन चालक एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों पर नियमित/सोसायटी के माध्यम से कार्मिक उपलब्ध नहीं होने तक इन पदों पर रेक्सको से/सेवानिवृत्त कार्मिक रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
- (3) वेतनादि एवं महाविद्यालयों के संचालन हेतु प्रस्तावित आवर्तक/अनावर्तक व्यय राशि के अतिरिक्त बजट प्रावधान के प्रस्ताव के संबंध में आयुक्तालय को वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- (4) महाविद्यालय के भवन निर्माण के लिए राशि रूपये 4.50 करोड़ के व्यय किये जाने की स्वीकृति एतदद्वारा प्रदान की जाती है। आयुक्तालय भवन निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध बजट प्रावधान का उपयोग करने एवं आवश्यकतानुसार वांछित प्रस्ताव यथा समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।
- (5) जब तक महाविद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, तक वैकल्पिक रूप से महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु आयुक्तालय के स्तर से नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें तथा आवश्यक होने पर किराये के भवन में भी महाविद्यालय प्रारम्भ करने की व्यवस्था की जा सकती है।
- (6) उक्त संबंध में आयुक्तालय नियमानुसार सम्पूर्ण आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-1) विभाग की आई.डी. संख्या 102203655 दिनांक 28.06.2022 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(बृजमोहन भोगिया)
 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. महालेखाकार लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (जीबी), माननीय मुख्यमंत्री।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग।
6. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय-1) विभाग।
7. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग।
9. संयुक्त सचिव, शिक्षा (गुप-4) विभाग।
10. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि जब तक उक्त महाविद्यालयों के भवन का निर्माण पूर्ण नहीं हो जाता है, तक वैकल्पिक रूप से महाविद्यालय प्रारम्भ करने हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करावें तथा आवश्यक होने पर किराये के भवन में भी महाविद्यालय प्रारम्भ किये जाने हेतु व्यवस्था करवाने का श्रम करावें।
11. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. सम्बन्धित कुल सचिव, विश्वविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
13. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
14. सम्बन्धित राजकीय महाविद्यालय, राजस्थान द्वारा आयुक्त, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव



क्रमांक :एफ 20 (101 / 22) / आयो/आकाशि / 2022-23 / 322-45 दिनांक: ५.७. 2022

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हक, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त सचिव, (एच डी) मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय उच्च शिक्षा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर।
8. संयुक्त शासन, सचिव, वित्त (व्यय-1) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
9. निदेशक, वित्त, (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
10. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना (जनशक्ति) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. शासन उप सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
12. शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर।
13. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप-4) विभाग, जयपुर।
14. आयुक्त, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
15. संबंधित, जिला कलक्टर, महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन कृषि महाविद्यालयों हेतु अस्थाई भवन एवं भूमि आवंटन करने का श्रम करावे।
16. लेखाधिकारी, उच्च शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, जयपुर।
17. कुल सचिव, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर/श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर/कृषि विश्वविद्यालय, कोटा/MPUAT कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर/स्वामी केशवानन्द कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर को प्रेषित कर निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की अनुपालना में खोले गये नवीन कृषि महाविद्यालयों को सम्बद्धता प्रदान करने का श्रम करावे।
18. वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर।
19. संयुक्त निदेशक (अकादमी/प्रशासन/एच.आर.डी.) कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
20. सहायक निदेशक क्षेत्रीय कार्यालय कॉलेज शिक्षा, अजमेर, जोधपुर, कोटा जयपुर, भरतपुर, बीकानेर।
21. समन्वयक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा (JET), कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर।
22. प्राचार्य/नोडल अधिकारी संबंधित राजकीय कृषि महाविद्यालय, राजस्थान।
23. वेबसाइट प्रभारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने बाबत।
24. रक्षित पत्रावली।

(०५.०७.२०२२)
(डॉ विमलेश सोनी)
संयुक्त निदेशक (आयोजना)
कॉलेज शिक्षा, राज. जयपुर